

बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट कैसे करें?

1

मामले/केस की जानकारी के बारे में फॉर्मेट के अनुसार विवरण प्राप्त करें

2

नाबालिग की शादी की सूचना को शीघ्र ही रिपोर्ट करें

- पुलिस को 112 नम्बर पर।
- चाइल्ड लाइन को 1098 नम्बर पर
- अपने क्षेत्र के बालविवाह रोकथाम अधिकारी (CMPO) जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी(BDO)/ SDO/ SDM/DM आदि को सूचना दें।

3

रिपोर्ट करने के बाद, CMPO यानि कि बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ मिलकर बाल विवाह को रुकवाए।

- माता-पिता से अंडरटेकिंग लें कि वह अपने नाबालिग बच्चे की शादी कानूनी उम्र यानि कि लड़कियों की 18, एवं लड़कों की 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करेंगे।
- पुलिस थाने जाकर आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ FIR दर्ज कराएं एवं उसकी कॉपी लें।
- थाने में दर्ज कंप्लेंट की डायरी एंट्री की कॉपी ले लें।
- जिला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश से इनजंक्शन आर्डर प्राप्त करें और CMPO के साथ साझा करें।

**आइये मिलकर बनाये
बाल विवाह मुक्त भारत**